कार्यालय आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
17 न्यू बेरी रोड,डालीबाग, लखनऊ।

पत्र संख्याः 355 /सी/प्राधि. दिनांक 01 जनवरी 2018

समस्त जिला गन्ना अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

विषयः सहकारी गन्ना विकास समितियों में मानव संसाधानों का समुचित उपयोग करते हुए समयान्तर्गत कार्य निस्तारण एवं वित्तीय स्थिति को सुदृढ किया जाना।

प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों के कार्यों एवं वित्तीय स्थिति की समीक्षा के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अधिकांश सहकारी गन्ना विकास समितियों को वर्तमान में प्राप्त हो रही वास्तविक आय के सापेक्ष उनका प्रबन्ध व्यय अधिक है। सहकारी गन्ना समितियों के प्रबन्ध व्यय का अधिकांश भाग कर्मचारियों के वेतन भत्ते पर खर्च होता है। पेराई सत्र के दौरान अपूर्ण रह गये कार्यों को पूर्ण कराने को आधार बनाकर आफ सीजन में कर्मचारियों को कार्य पर बुलाये जाने के कारण सहकारी गन्ना समितियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते के रूप में अप्रत्याशित व्यय से समितियों की वित्तीय स्थिति में लगातार ह्रास हो रहा है। सामयिक कर्मचारियों द्वारा जहां एक ओर क्रसिंग सीजन की परिभाषा के अनुसार कार्य पर रखे जाने की मांग की जा रही है वहीं दूसरी ओर सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार वेतनमान लागू करने की मांग भी समिति कर्मचारियों द्वारा की जा रही है।

सहकारी गन्ना समितियों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा एवं सामयिक कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों को पेराई सत्र के दौरान ही पूर्ण कराये जाने हेतु नियमित रूप से पर्यवेक्षण करते हुए उ0प्र0 सहकारी गन्ना सेवा नियमावली 1975 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु आपको समय–समय पर विभागीय बैठकों में निर्देशित किया जाता रहा है, परन्तु गुणवत्ता परक प्रगति परिलक्षित नहीं हुई।

उपर्युक्त के आलोक में सहकारी गन्ना समितियों के सामयिक कार्यों को पेराई सत्र के दौरान पूर्ण कराने एवं प्रबन्धकीय व्यय में वित्तीय मितव्ययता के दृष्टिगत निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैंः–

1. पेराई सत्र के दौरान ही सामयिक कर्मचारियों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले कार्यों का सामयिक कर्मचारियों के मध्य आवंटन करते हुए कार्य पूर्ण करने के लक्ष्य निर्धारित किये जांय।

2. सामयिक कर्मचारियों को आवंटित किये गये कार्यों की मासिक समीक्षा सम्बन्धित सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा करते हुए अपनी आख्या जिला गन्ना अधिकारी को प्रेषित की जांय।

3. सचिवों से प्राप्त मासिक समीक्षा के आधार पर जिला गन्ना अधिकारी अपने–अपने जनपद की सहकारी गन्ना समितियों के सामयिक कर्मचारियों द्वारा सम्पादित कार्यों की समीक्षा करते हुए उ.प्र. सहकारी गन्ना सेवा नियमावली, 1975 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार गुणवत्ता परक मूल्यांकन सुनिश्चित करें।

4. पेराई सत्र के दौरान समितियों के मानव संसाधन का समुचित उपयोग करते हुए पेराई सत्र के कार्य पेराई सत्र के दौरान ही सम्पन्न करायें। यदि समितियों के मानव संसाधन का समुचित उपयोग न किये जाने के कारण पेराई सत्र समाप्त होने के उपरान्त सत्र के अवशेष पड़े कार्यों को पूर्ण कराने हेतु सामयिक कर्मचारियों को कार्य पर बुलाने का प्रस्ताव सचिव, सहकारी गन्ना समिति एवं जिला गन्ना अधिकारी द्वारा उप गन्ना आयुक्त को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जाना संज्ञानित होता है, तो इसे गम्भीरता से लिया जायेगा।

अतः उपर्युक्त दिये गये निर्देशों का कडाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ0प्र0।

पृष्ठांकन संख्या–355/सी/प्राधि. तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त सचिव प्रभारी, सहकारी गन्ना समितियां, उत्तर प्रदेश को अनुपालनार्थ।
2. समस्त क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेष को इस आशय से कि उक्तानुसार दिये गये निर्देशों की समीक्षा अपनी मासिक बैठकों में अवश्य करें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी गन्ना समिति संघ लि0, लखनऊ को इस आशय से कि गन्ना संघ स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में भी अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उ0प्र0।